कार्यालय जिला सूचना अधिकारी सुलतानपुर

समाचार पत्र का नामः ...लोक भारती........ प्रकाशन स्थल सुल्तानपुर दिनांक 30/10/21

मतदाता पुनरीक्षण को लेकर एसडीएम ने बीएलओ को जारी किए निर्देश

लोकभारती न्यूज ब्यूरो

जयसिंहपुर (सुलतानपुर)। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर आगामी अर्हता तिथि 1 जनवरी 2022 के आधार पर मतदाता सूची पुनरीक्षण के दृष्टिगत सीता देवी गर्ल्स महाविद्यालय बरौंसा में शुक्रवार को सभी बीएलओ को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारीध् एसडीएम जयसिंहपुर अरविंद कुमार द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। जिसमें बीएलओ को गरुड़ ऐप डाउनलोड करने के साथ ही ऑनलाइन सत्यापन आदि की जानकारियां दी गयी। एसडीएम ने बताया कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण अभियान एक नवंबर से शुरू हो रहा है। एक से 30 नवंबर के बीच लोगों के दावे व आपत्तियां ली जाएंगी। जो लोग मतदाता सूची में नाम जुड़वाना या सही कराना चाहते हैं, वह इस अवधि में दावा कर सकते हैं। प्रशिक्षण में एसडीएम ने बीएलओ को 18 वर्ष व इससे अधिक उम्र वाले लोगों का नाम मतदाता सूची में जोड़ने, विलोपित करने और संसोधन करने की जानकारी दी। इसके अलावा उन्होंने एक माह के विशेष अभियान में घुमंतू, जनजातियों, दिव्यांगजनों, बंधुआ मजदूरों, सिर पर मैला ढोने वाले लोगों का पात्रता के आधार पर शत-प्रतिशत मतदाता सूची में नाम जोड़ने के निर्देश दिए। एसडीएम ने जेंडर रेशियो का अनुपात सही करने को लेकर सभी बीएलओ को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि 18 वर्ष से 19 वर्ष की महिला मतदाताओं का नाम सूची में दर्ज कराएं। एसडीएम ने लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। प्रशिक्षण शिविर में सहायक निर्वाचक अधिकारी तहसीलदार हरिश्चंद्र ने सभी बीएलओ व सुपरवाइजर को पुनरीक्षण कार्य से संबंधित अन्य जानकारी दी। इस मौके पर रजिस्ट्रार कानूनगो लालचन्द्र श्रीवास्तव प्रधानाचार्या सीता देवी गर्ल्स महाविद्यालय डॉ. रूपा यादव, राजस्व निरीक्षक विनोद तिवारी, अनिल यादव, सर्वेश व बीएलओ मौजूद रहे।

विश्ववार्ता

एसडीएम ने बीएलओ को किया प्रशिक्षित

जयसिंहपुर, सुलतानपुर। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर आगामी अर्हता तिथि 1-1-2022 के आधार पर मतदाता सूची पुनरीक्षण के दृष्टिगत सीता देवी गर्ल्स महाविद्यालय बरौंसा में शुक्रवार को सभी बीएलओ को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एसडीएम जयसिंहपुर अरविंद कुमार द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। जिसमें बीएलओ को गरुड़ ऐप डाउनलोड करने के साथ ऑनलाइन सत्यापन आदि की जानकारियां दी गईं।

एसडीएम ने बताया कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण अभियान एक नवंबर से शुरू हो रहा है। एक से 30 नवंबर के बीच लोगों के दावे व आपत्तियां ली जाएंगी। जो लोग मतदाता सूची में नाम जुड़वाना या सही कराना चाहते हैं, वह इस अवधि में दावा कर सकते हैं। एसडीएम ने बीएलओ को 18 वर्ष व इससे अधिक उम्र वाले लोगों का नाम मतदाता सूची में जोड़ने, विलोपित करने और संसोधन करने की जानकारी दी। इसके अलावा उन्होंने एक माह के विशेष अभियान में घुमंतू, जनजातियों, दिव्यांगजनों, बंधुआ मजदूरों, सिर पर मैला ढोने वाले लोगों का पात्रता के आधार पर मतदाता सूची में नाम जोड़ने के निर्देश दिए। एसडीएम ने जेंडर रेशियो का अनुपात सही करने को लेकर सभी बीएलओ को स्पष्ट निर्देश दिए।

जिलाधिकारी महोदय की सेवा में,
अवलोकनार्थ प्रेषित

जिला सूचना अधिकारी
सुलतानपुर

जिलाधिकारी
सुलतानपुर